230
06.03.2026

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस कैम्पस, डोरण्डा, रॉची–834002 (झारखण्ड)

संकल्प

विषयः **विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के अधीन सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची का मनोनयन के आधार पर चयन करते हुए सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची के सहयोग से Internship प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।**

तकनीकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावहारिक एवं वास्तविक औद्योगिक कार्यों का अनुभव भी देना है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में उद्योगों को ऐसे युवा अभियंताओं की आवश्यकता है, जो कार्यस्थल की चुनौतियों का सामना कर सकें, समस्याओं का समाधान खोज सकें तथा उत्पादन व गुणवत्ता को समझ सकें। डिप्लोमा/इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में समाहित औद्योगिक प्रशिक्षण योजना छात्रों को उनके अध्ययन के दौरान ही वास्तविक औद्योगिक वातावरण से परिचित कराने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में Internship की प्रत्येक Even Semester में अनिवार्यता है तथा पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को Internship हेतु Academic Credit भी दिये जाने का भी प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में राज्य के अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नामांकित होते है। झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में Internship के प्रावधान रहने के कारण Internship प्रशिक्षण करना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को अपने व्यय पर Internship प्रशिक्षण प्राप्त करने में आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। सरकार के स्तर पर Internship प्रशिक्षण कराये जाने पर इन छात्रों को अतिरिक्त वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ेगा, साथ ही इनके पाठ्यक्रम भी पूर्ण होंगे तथा इनका अतिरिक्त कौशल विकास भी होगा।

2. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची द्वारा विभागान्तर्गत डिग्री/डिप्लोमा के छात्रों के लिए Internship प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने हेतु विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रस्ताव की समीक्षा हेतु संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय की अध्यक्षता में निदेशालीय कार्यालय आदेश संख्या–274, दिनांक–12.03.2025 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा निम्नानुसार प्रतिवेदन **(अनु0–1 संलग्न)** उपलब्ध करायी गयी है–

सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची एक प्रमुख ISO 9001: 2015 QMS प्रमाणित, NABL-ISO / IEC-17025, NABCB- आईएसओ / IEC 17020 मान्यता प्राप्त रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तत्वावधान भारत सरकार का एक संस्थान है। यह पूरी तरह से कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएँ, शैक्षिक एवं अनुसंधान (STAR) के लिए समर्पित है। CIPET: CSTS राँची रियायती दर पर Design-CAD/CAM, CNC-Tooling, Plastics Processing and Testing और इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम (इंटर्नशिप/इन–प्लांट प्रशिक्षण) आयोजित कर रहा है, ताकि बी0टेक0/डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्र अपने ज्ञान को अद्यतन करने और अपने पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही, डिप्लोमा/इंजीनियरिंग के छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण में आधुनिक प्रयोगशालाओं, तकनीकी परियोजनाओं और उद्योग आधारित वातावरण से परिचित कराता है, जिससे उनके व्यावसायिक कौशल में वृद्धि होती है।

A. विभिन्न शाखाओं के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण कोर्स

Sl. No.	Name of Engineering Branch / Stream	Category / Group / Department	Maximum Batch Size (Nos. of Candidates)
1	E.E / E.C.E. / E.E.E	Electrical & Maintenance	60
2	Mechanical / Production / Manufacturing / Automobile Engineering	Design-CAD / Cam and Tool Room & CNC	60
3	Chemical Engineering	Plastics Processing and Testing	60

B. प्रशिक्षुओं की संख्याः–CIPET, Ranchi में प्रतिवर्ष कुल 180 छात्रों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है।

C. प्रशिक्षण की अवधिः–प्रशिक्षण की अवधि आठ (08) सप्ताह की होगी, जिसमें छात्रों की उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। छात्रों की उपस्थिति बायोमैट्रिक अटेंडेंस द्वारा बनायी जाएगी।

D. प्रशिक्षण पद्धतिः–CIPET, Ranchi द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें निम्नलिखित पद्धतियाँ अपनाई जाएगी:

a. ऑन–फील्ड ट्रेनिंग
b. क्लासरूम सेशन्स
c. शॉर्ट प्रोजेक्ट वर्क
d. इंटरनल एसेसमेंट टेस्ट
e. वर्कशॉप एवं सेमिनार
f. प्रस्तुतीकरण और मूल्यांकन

E. शुल्क संरचनाः–छात्रों के आठ सप्ताह के प्रशिक्षण हेतु व्यय राशि प्रति छात्र रूपये 3,540/– तथा प्रशिक्षण के दौरान छात्रों के आवासन एवं भोजन हेतु कुल व्यय राशि रूपये

10,000/– प्रति छात्र का प्रस्ताव है। पूरे आठ सप्ताह के प्रशिक्षण के अवधि में प्रति छात्र रूपये 3,540 + 10,000 = 13,540/- व्यय होना अनुमानित है, जो कि अन्य संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित अनुमानित व्यय राशि से कम है।

F. **प्रमाण–पत्रः**–प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समापन पर, सफल प्रशिक्षुओं को CIPET, Ranchi द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

G. **अनुशंसाः**–CIPET, Ranchi में राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्रों को 08 सप्ताह की Internship प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

3. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची ने अपने पत्रांक–सिपेट/रांची/वीटीसी_इंटर्नशिप/DHTE/2024–25/233, दिनांक–06.06.2025 द्वारा राज्य के विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक पाठ्यक्रम आवश्यकता को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से Internship प्रशिक्षण के लिए 2,500/– रूपये तथा छात्रावास (भोजन सहित आवास) के लिए 9,500/– रूपये की संशोधित रियायती दर उपलब्ध करायी गयी है।

4. पूर्व में CIPET राँची द्वारा डिप्लोमा एवं डिग्री के लिए कोर्स की स्पष्ट विवरणी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची ने अपने पत्रांक–सिपेट/रांची/वीटीसी_इंटर्नशिप/DHTE/2024–25/254, दिनांक–11.06.2025 द्वारा 08 सप्ताह के Internship प्रशिक्षण के दौरान दिये जाने वाले प्रशिक्षण कोर्स की विवरणी उपलब्ध करायी गयी है, जो निम्नवत् है–

इंजीनियरिंग शाखा	डिप्लोमा/पोलिटेकनिक इंजीनियरिंग के लिए कवर किए जाने वाले विषय	डिग्री इंजीनियरिंग (बी0टेक0/बी0ई0) के लिए कवर किए जाने वाले विषय
E.E. / E.C.E. / E.E.E	1. Electrical circuit drawing 2D drafting for preparation of electric circuit by using AUTOCAD Software. 2. Basic Electricity (Theory and Practical). 3. AC Power supply system (Theory and Practical). 4. 3Phase Motor & Starter (Theory and Practical). 5. Plastics processing and Plastics Recycling Techniques (Theory and practical). 6. Plastics Material Testing and Quality Control.	1. Electrical circuit drawing 2D drafting for preparation of electric circuit by using AUTOCAD Software. 2. Basic Electricity (Theory and Practical). 3. AC Power supply system (Theory and Practical). 4. 3Phase Motor & Starter (Theory and Practical). 5. Industrial Wiring and DG set operation (Theory and Practical). 6. Earthing System and Electrical Drives (Theory and Practical). 7. Plastics processing and Plastics.
Mechanical / Production / Manufacturing / Automobile	1. 2D Drafting by using AUTOCAD Software. 2. Solid Modeling by using CATIA / Unigraphics-NX	1. 2D Drafting by using AUTOCAD Software. 2. Preparing / Reading of Mechanical I machine Drawing.

Engineering	software. 3. Workshop - Conventional machining process (Theory and practical). 4. CNC Prograinming and Operation on CNC Milling / CNC Lathe I CNC EDM / CNC WEDM (Theory and practical). 5. Plastics processing and Plastics Recycling Techniques (Theory and practical). 6. Plastics Material Testing and Quality Control.	3. Solid Modeling by using CATIA / Unigraphics-NX software. 4. CAM using Unigraphics-NX software. 5. Workshop - Conventiorral machining process (Theory and practical). 6. CNC Programming and Operation on CNC Milling / CNC Lathe / CNC EDM / CNC WEDM (Theory and practical). 7. Session on 3D printing Techniques. 8. Plastics processing and Plastics Recycling Techniques (Theory and practical). 9. Plastics Material Testing and Quality Control.
Chemical Engineering	1. Basics of Polymer & Plastics Material. 2. Types of Plastics Material and its Structure. 3. Basic of Specimen Preparation Technique and Introduction of Mechanical Properties. 4. Testing & Quality Control of Mechanical & Thermal Properties of Plastics / Polymers. 5. Testing of Plastics Raw material & Product. 6. Plastics processing and Plastics Recycling Techniques (Theory and practical).	1. Basics of Polymer & Plastics Material. 2. Properties of Plastics Material. 3. Types of Plastics Material and its Structure. 4. Basic of Specimen Preparation Technique and Introduction of Mechanical Properties. 5. Testing & Quality Control of Mechanical & Thermal Properties of Plastics / Polymers. 6. Testing of Plastics Raw material & Product. 7. Heat Transfer in Plastics Injection Mould (Theory). 8. Plastics processing and Plastics Recycling Techniques (Theory and practical).

CIPET राँची में उपरोक्त सारणी में अंकित कोर्स में डिप्लोमा एवं डिग्री के छात्रों को Internship प्रशिक्षण दिया जायेगा।

5. झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची द्वारा डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में Internship की प्रत्येक Even Semester में अनिवार्यता रहने एवं पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को Internship हेतु Academic Credit दिये जाने संबंधी प्रावधान रहने, समिति से प्राप्त अनुशंसा एवं CIPET, राँची द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रति छात्र संशोधित प्रशिक्षण शुल्क तथा विभाग द्वारा समीक्षोपरांत कतिपय संशोधन के साथ सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची में राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्रों को 08 सप्ताह की उपरोक्त कंडिका–2 में अंकित प्रावधानानुसार Internship प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है।

6. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची के माध्यम से Internship प्रशिक्षण प्राप्त करने से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेक्निक/ राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्रों का कौशल विकास होगा एवं कार्य दक्षता में भी वृद्धि होगी।

7. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची में प्रतिवर्ष कुल 180 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

8. CIPET, राँची में 08 सप्ताह की इंटर्नशिप प्रशिक्षण हेतु प्रति छात्र प्रशिक्षण के लिए 2,500/– रूपये तथा छात्रावास (भोजन सहित आवास) के लिए 9,500/– रूपये कुल प्रशिक्षण शुल्क एवं छात्रावास शुल्क सभी कर सहित कुल दर 12,000/– रूपये प्रति छात्र होगी।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के कौशल विकास स्कीमों के लिए सामान्य मानदण्ड (Common Norms) के श्रेणी–I में सूचीबद्ध ट्रेड़ो/सेक्टरों के लिए निर्धारित दर रूपये 49/– प्रति घंटा की दर पर की गई है।

इस प्रकार प्रति छात्र प्रशिक्षण हेतु व्यय की विवरणी निम्नानुसार होगी:–

Description	**Cost (INR)**
Cost per hour per student	49/- Rs.
Cost for 5 hours per day	49 x 5 = 245/- Rs.
Total working days in 8 weeks	8 x 5 = 40 days
Total cost for 8 weeks **[A]**	245 x 40 = 9800/- Rs.
The allowed rate for CIPET, Ranchi **[B] = [A] X 25.51% i,e** 2,500/-	2,500/-
Mess and Hostel fee as per actual **[C]**	9,500/- Per Student
Total- **[D] = [B] + [C]**	2,500 + 9,500 =12,000/–

सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), संस्थान राँची शहर में अवस्थित रहने के कारण आवासन एवं खाने का खर्च अन्य शहरों की अपेक्षा अधिक रहने एवं प्रशिक्षण अवधि 08 सप्ताह होने के कारण छात्रावास (भोजन सहित आवास) शूल्क 9,500/–रूपये तर्कसंगत है। इस प्रकार CIPET, Ranchi में प्रतिवर्ष कुल 180 छात्रों को प्रशिक्षण दिये जाने पर कुल राशि 180 × 12000 = 21,60,000/–(इक्कीस लाख साठ हजार रूपये) रूपये मात्र प्रतिवर्ष व्यय होगी।

9. अतः उपरोक्त के आलोक में–

I. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची में राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक

संस्थानों के छात्रों को उपरोक्त कंडिका–4 में अंकित कोर्स हेतु 08 सप्ताह का Internship प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

II. उक्त प्रशिक्षण हेतु प्रति छात्र रूपये 12,000/–(बारह हजार रूपये) के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 180 छात्र हेतु कुल रूपये 21,60,000/–(इक्कीस लाख साठ हजार रूपये) मात्र प्रतिवर्ष व्यय होने की संभावना है, जिस पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विद्यार्थियों की संख्या, कोर्स अथवा Common Norms द्वारा निर्धारित दर में संशोधन के अनुसार अनुमानित राशि में परिवर्तन हो सकता है।

III. छात्र संस्थान में उपलब्ध कोर्स की सूची में से अपने लिये उपयोगिता के आधार पर कोर्स का चयन कर सकते है अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान से भी Internship कर सकते हैं।

IV. प्रशिक्षण की अवधि आठ (08) सप्ताह की होगी, जिसमें छात्रों की उपस्थिति 100% अनिवार्य होगी। छात्रों की उपस्थिति बायोमैट्रिक अटेंडेंस द्वारा बनायी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी प्रशिक्षण की अवधि में स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित होते है, तो उन्हें चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर तथा संबंधित संस्थान के निदेशक/प्राचार्य की अनुमति से उपस्थिति से छूट दिया जा सकेगा। अन्य विशेष परिस्थिति (जैसे परिवार में मृत्यु आदि) में भी संबंधित संस्थान के निदेशक/प्राचार्य विद्यार्थी को प्रशिक्षण अवधि में उपस्थिति से छूट प्रदान कर सकेंगे। किन्तु Assessment हेतु किसी भी परिस्थिति में छात्रों की न्यूनतम 80% उपस्थिति अनिवार्य होगी। Assessment के दौरान झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के द्वारा नामित प्रतिनिधि (संबंधित विषय के विशेषज्ञ) भी उपस्थित रहेंगे।

V. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, छात्रों के समग्र विकास हेतु निम्नलिखित पद्धतियाँ अपनाई जाएगी:

a. ऑन–फील्ड ट्रेनिंग
b. क्लासरूम सेशन्स
c. शॉर्ट प्रोजेक्ट वर्क
d. इंटरनल एसेसमेंट टेस्ट
e. वर्कशॉप एवं सेमिनार
f. प्रस्तुतीकरण और मूल्यांकन
g. Industrial Visit

VI. प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात, सभी सफल छात्रों को सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची द्वारा एक अधिकृत "प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण–पत्र" प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि, विषयवस्तु व प्रदर्शन का उल्लेख होगा।

VII. Course के Outcome के आधार पर Assessment में सफल विद्यार्थियों का Certification सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची के द्वारा किया जायेगा। Number of Certified Candidates के लिये ही राशि का भुगतान किया जायेगा।

आवासन एवं भोजन हेतु राशि का भुगतान होस्टल के बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर प्रतिदिन निर्धारित दर पर किया जायेगा। होस्टल के लिये बायोमैट्रिक उपस्थिति अलग से दर्ज की जायेगी। प्रशिक्षण तथा होस्टल के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति के संधारण की व्यवस्था सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची द्वारा किया जायेगा।

VIII. योजना का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण निम्न समिति के द्वारा किया जायेगा–

i.	निदेशक पाठ्यक्रम विकास, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	–	अध्यक्ष
ii.	निदेशक, बी0आई0टी0, सिन्दरी, धनबाद	–	सदस्य
iii.	प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बोकारो	–	सदस्य
iv.	प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर	–	सदस्य
v.	प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, राँची	–	सदस्य
vi.	सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय	–	सदस्य सचिव

उक्त समिति इस योजना का Outcome, जो छात्रों के संतोषप्रद Placement के आधार पर होगा तथा योजना की उपयोगिता संबंधी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को समर्पित करेगी। समिति से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रत्येक वर्ष योजना का विस्तार विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किया जायेगा।

IX. CIPET राँची में कंडिका–4 में अंकित कोर्स में डिप्लोमा एवं डिग्री के छात्रों को Internship प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही CIPET राँची द्वारा प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को Industrial Visit भी कराया जायेगा।

X. उपरोक्त कंडिका–4 में अंकित प्रशिक्षण कोर्स Indicative है तथा उक्त समिति की अनुशंसा तथा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से कोर्स revise करते हुए सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची में revised कोर्स में प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

XI. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची को भुगतान करने संबंधी किसी भी कठिनाई को दूर करने हेतु निर्णय लेने तथा योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक दिशानिदेश जारी करने हेतु उक्त समिति प्राधिकृत होगी।

XII. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची अपने संस्थान में Internship प्रशिक्षण प्रारंभ करने के 60 दिन पूर्व विभागान्तर्गत सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों को इसकी सूचना देंगे तथा इसका व्यापक प्रचार प्रसार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्रों के बीच करेंगे।

XIII. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के निदेशक/प्राचार्य सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड

टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची में कराये जाने वाले Internship प्रशिक्षण का व्यापक प्रचार–प्रसार अपने संस्थानों के छात्रों को करेंगे एवं उन्हें उक्त Internship प्रशिक्षण करने हेतु प्रोत्साहित भी करेंगे।

10. उक्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के अधीन सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची का मनोनयन के आधार पर चयन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11. योजना की राशि राज्य स्कीम मुख्य बजट शीर्ष 2203–तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष–003 / 796–प्रशिक्षण / जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–A7–प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग के परामर्शी शुल्क ईकाई में उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा। आवश्यक राशि का आवंटन संबंधित अभियंत्रण / पोलिटेकनिक संस्थान को उपलब्ध करा दिया जायेगा। संबंधित अभियंत्रण महाविद्यालय / पोलिटेकनिक संस्थान के द्वारा सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची को प्रशिक्षण एवं आवासीय शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

12. उपर्युक्त कंडिका–9 में अंकित प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक–08.08.2025 की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है **(अनु0–2 संलग्न)**।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर वित्त विभाग द्वारा निम्न शर्तों के साथ सहमति प्रदान की गयी है–

(क) प्रशासी विभाग लागत के संबंध में स्वयं संतुष्ट होना चाहेंगे।

(ख) प्रशासी विभाग योजना के Outcome को निर्धारित करने हेतु सुस्पष्ट एवं Quantifiable Parameters निर्धारित करना चाहेंगे।

(ग) प्रशासी विभाग सक्षम स्तर से योजना की स्वीकृति प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई करना चाहेंगे।

14. वित्त विभाग के उक्त शर्तों के आलोक में तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग पत्रांक–01, दिनांक–02.01.2026 के क्रम में दिनांक–05.01.2026 को संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय की अध्यक्षता में गठित समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही में निम्नरूपेण निर्णय लिया गया **(अनु0–3 संलग्न)**:–

I. सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची द्वारा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के कौशल विकास स्कीमों के लिए Common Norms के श्रेणी–I में सूचीबद्ध ट्रेडों / सेक्टरों के लिए निर्धारित दर रूपये 49 / – प्रति घंटा की दर से 75% कम दर पर प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

CIPET, राँची द्वारा Common Norms प्रशिक्षण शुल्क पर प्रदान की गई संस्थागत छूट तथा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की शैक्षणिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षण शुल्क को समिति द्वारा उपयुक्त मानते हुए यथावत रखने पर सहमति प्रदान की गयी है।

CIPET, राँची परिसर के भीतर छात्रों को प्रदान की जा रही safety, security and facilities को ध्यान में रखते हुए, मेस एवं छात्रावास शुल्क को समिति द्वारा उपयुक्त मानते हुए यथावत रखने पर सहमति प्रदान की गयी है।

अतः वित्त विभाग के उपर्युक्त शर्त (क) के आलोक में समिति द्वारा लागत के संबंध में की गई अनुशंसा से विभाग संतुष्ट है।

II. वित्त विभाग के उपर्युक्त शर्त (ख) के आलोक में उक्त समिति द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए Annexure-1 में योजना के Outcome को निर्धारित करने हेतु Quantifiable parameters निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत् हैः–

i. Course Outcomes – प्रत्येक कोर्स के लिए CIPET, राँची द्वारा Outcomes का निर्धारण किया गया है। इन Outcomes के Achievement का आकलन झारखण्ड प्रौद्यागिकी विश्वविद्यालय (JUT), राँची द्वारा गठित समिति (जिसमें संबंधित शाखा के विषय विशेषज्ञ भी रहेंगे) के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत किया जाएगा।

ii. Scheme Outcomes – इसके तहत स्कीम के Outcomes का आकलन कराने के लिए मापदण्ड का निर्धारण किया गया है, जो निम्नवत है–

(a) Percentage of students getting certified after completion of training

$$\frac{No.of\ Certified\ students}{No.of\ students\ enrolled\ for\ Internship}\ x\,100$$

Minimum Benchmark: 75%

(b) Percentage of certified students securing placements in each batch

$$\frac{No.of\ certified\ students\ securing\ placements}{No.of\ Certified\ students}\ x\,100$$

Minimum Benchmark: 40%

15. वित्त विभाग के शर्त (ग) के संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नियमानुसार अनुपालन किया गया है।

16. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–05.02.2026 में मद संख्या–17 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

6.3.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–त0शि0प्र0 / विविध–11 / 2025- 230 / राँची, दिनांकः- 06.03.2026
प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

6.3.26
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–त0शि0प्र0 / विविध–11 / 2025- 230 / राँची, दिनांकः- 06.03.2026
प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, रांची / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची एवं संबंधित जिला कोषागार / उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.3.26
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–त0शि0प्र0 / विविध–11 / 2025- 230 / राँची, दिनांकः- 06.03.2026
प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के अपर मुख्य सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव सभी विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, तकनीकी शिक्षा / संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड / निदेशक पाठ्यक्रम विकास, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची / कुलसचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची / विभागीय बजट शाखा / प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक, संस्थान, झारखण्ड / विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट / निदेशक एवं प्रमुख, सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), राँची / श्री कुमार चन्दन, MIS पदाधिकारी, RUSA को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6.3.26
सरकार के प्रधान सचिव।

निदेशालीय पत्रांक–285, दिनांक–19.03.2025 के आलोक में दिनांक–20.03.2025 को संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय की अध्यक्षता में Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), Ranchi द्वारा छात्रों के लिए Internship प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करने एवं उक्त Internship प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन संबंधी उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की समीक्षा हेतु गठित समिति की Online बैठक की कार्यवाही:–

Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), Ranchi द्वारा छात्रों के लिए Internship प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करने एवं उक्त Internship प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन संबंधी उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक–20.03.2025 को संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी भाग लियेः–

1	डॉ0 रंजीत कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय	–	अध्यक्ष
2	निदेशक, पाठ्यक्रम, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची	–	सदस्य
3	प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, राँची	–	सदस्य
4	प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार	–	सदस्य
5	श्री जीवन दास, सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय	–	सदस्य सचिव
6	प्रतिनिधि, Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), Ranchi	–	विशेष आमंत्रित सदस्य

दिनांक–20.03.2025 को हुए बैठक में समिति द्वारा Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), Ranchi द्वारा छात्रों के लिए Internship प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन करने एवं उक्त Internship प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन संबंधी उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का अध्ययन किया गया।

1. Central Institute of Petrochemicals Engineering & Technology (CIPET), Ranchi के प्रतिनिधि द्वारा सर्वप्रथम CIPET, Ranchi में प्रशिक्षिण हेतु उपकरणों, सुविधाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से समिति को अवगत कराया ।
2. CIPET, Ranchi निम्नलिखित शाखा के छात्रों को डिप्लोमा/डिग्री इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव दिया गया है।

(86)

Sl. No.	Name of Engineering Branch / Stream	Category / Group / Department	Maximum Batch Size (Nos. of Candidates)	Nos. of Batches / Year
1	E.E / E.C.E. / E.E.E	Electrical & Maintenance	60	5
2	Mechanical / Production / Manufacturing / Automobile Engineering	Design-CAD / Cam and Tool Room & CNC	60	5
3	Chemical Engineering	Plastics Processing and Testing	60	5

3. छात्रों के दो सप्ताह के प्रशिक्षण हेतु व्यय राशि प्रति छात्र रूपये 3,540/– का प्रस्ताव दिया गया है।
4. प्रशिक्षण के दौराण छात्रों के आवासन एवम् भोजन हेतु कुल व्यय राशि रूपये 10000/– प्रति छात्र का प्रस्ताव दिया गया है।
5. CIPET, Ranchi द्वारा बताया गया कि उनके संस्थान में कुल 180 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. Chemical Engineering शाखा के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए CIPET, Ranchi द्वारा Training Schedule Plan का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। CIPET, Ranchi द्वारा उक्त प्रस्ताव यथा शीघ्र उपलब्ध कराने की बात कही गई।
7. डिग्री लेवल के छात्रों के लिए भी अलग से Training Schedule Plan उपलब्ध कराने को CIPET, Ranchi के प्रतिनिधि को कही गई ।

बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

राजू हांसदा
प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय पोलिटेकनिक, लातेहार

20/3/25
अकिलुर रहमान,
राजकीय पोलिटेकनिक, राँची

प्रतिनिधि,
(CIPET), Ranchi

20/03/25
जीवन दास,
सहायक निदेशक,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय

20/3/25
निदेशक,
पाठ्यक्रम, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची

20.03.2025
डॉ0 रंजीत कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय

अनु0-2 (114)

झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 08.08.2025 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

विभाग का नाम	:	**उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**
1. विषय एवं प्रस्तावः	:	विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्रों को सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET) राँची के सहयोग से Internship प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में।
2. संचिका संख्या	:	त0शि0प्र0/विविध–11/2025
3. संलेख का ज्ञापांक एवं तिथि	:	776 दिनांक 04.07.2025
4. बजट शीर्ष		मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा, लघु शीर्ष–003/796–प्रशिक्षण/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–A7–प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग के परामर्शी शुल्क इकाई
(क) मांग सं0	:	
(ख) मुख्य शीर्ष	:	
(ग) उप मुख्य शीर्ष	:	
(घ) लघु शीर्ष	:	
(ड़) उप शीर्ष	:	
5. निधि की उपलब्धता		
(क) कुल बजट उपबंध	:	₹600.00 लाख
(ख) बजट पृष्ठ संख्या	:	33–34
(ग) प्रस्तावित योजना की राशि	:	₹21.60 लाख (प्रतिवर्ष)
(घ) अवशेष उपबंध	:	

6. विभाग का प्रस्ताव : विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्रों को सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET) राँची के सहयोग से Internship प्रशिक्षण प्रदान करने के संबंध में।

7. समिति द्वारा लिया गया निर्णय : अनुशंसित।

8. शर्त्तें (यदि कोई हो तो) :

08/08/25 8.8.25

(प्रशांत कुमार)	**(राहुल कुमार पुरवार)**	**(मस्त राम मीना)**	**(अविनाश कुमार)**
सचिव	प्रधान सचिव	प्रधान सचिव	विकास आयुक्त
वित्त विभाग	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	योजना एवं विकास विभाग	

झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक:– रा०यो०प्रा०–78/2025 राँची, दिनांक 19.08.2025

प्रतिलिपि सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

19.8.25

(कृष्ण नन्दन प्रसाद)
अपर निदेशक–सह–अपर सचिव

Subject: Proceedings of the meeting constituted for evaluation of proposal submitted by CIPET, Ranchi for Skill Development Practical Training of students enrolled in Technical Education Institutions of the State

Meeting Agenda: Regarding suggestions received from Department of Finance, Government of Jharkhand against the proposal submitted by CIPET, Ranchi

Date / Time / Location: 05th January 2026, 11:30 AM, Conference Hall, 3rd Floor, Yojna Bhawan, Nepal House, Ranchi

List of Attendees: As per attached attendance list

1. A meeting regarding suggestions received from Department of Finance, Government of Jharkhand against the proposal submitted by CIPET, Ranchi for Skill Development Practical Training of students enrolled in Technical Education Institutions of the State was held under the Chairpersonship of Joint Director, Technical Education, Department of Higher & Technical Education on 05th January 2026.
2. At the outset of the meeting, Assistant Director, Technical Education welcomed all the members of the Committee and informed the Department of Finance has made some suggestions for consideration by the Department regarding the proposal submitted by CIPET, Ranchi. The suggestions, discussions and recommendations of the Committee are as follows:-
   a. **Suggestion – 1:** The Department must satisfy itself with price reasonability of the fee proposed by CIPET, Ranchi

      Discussion: The Committee discussed that the per student fees proposed (Rs 12,000) by CIPET, Ranchi has two components i.e. Training Cost (Rs 2,500) and Mess and Hostel Fee (Rs 9,500). It further noted that as per Common Norms rates of Ministry of Skill Development & Entrepreneurship, Government of India the training being provided by CIPET, Ranchi falls under the bracket of Rs 49 / hour / student and is for a total period of 8 Weeks, thus a total of 200 training hours has been proposed by CIPET, Ranchi. The total calculated cost as per Common Norms rates is Rs 9,800 per student. CIPET, Ranchi has provided a further institutional waiver of ~75% of such calculated cost and has proposed the total training cost at **Rs 2500 per student**.

      The mess and hostel fees are estimated at Rs 9,500 per person for the entire duration of training and shall be calculated based on actual usage by the student.

      Decision: The following decisions were made against the suggestions made by Department of Finance:-

      (i) **Considering the institutional waiver provided by CIPET, Ranchi on the Common Norms Training Rates and the academic repute of the Institute, the training fee is appropriate and hence can be retained.**

140

(ii) **Considering the in-campus safety, security and facilities being offered to the students, the Mess and Hostel fees seems appropriate and hence can be retained**

b. **Suggestion - 2: The Department must formulate clear and quantitative Outcomes of the internship**

Discussion: The Committee discussed that there must be quantifiable measures to measure the outcomes of the internship / skill development practical training for students which can be referred while considering the extension of the Scheme and necessary courses corrections. The representative from CIPET, Ranchi further provided the detailed curriculum and course outcomes for training provided under each domain and course. It was further discussed that some parameters related to the overall outcomes of the Scheme and benchmark for such outcomes must be prescribed by this Committee.

Decision: In view of the above points, the Committee recommend that the course-based outcome and the Scheme Outcome matrix as attached in Annexure – I may be included in the Cabinet Note in view of the suggestions received from Department of Finance, Government of Jharkhand. All the parameters of quantitative outcomes and minimum benchmarks for such outcomes were agreed to by the representative from CIPET, Ranchi as well.

The meeting ended with vote of thanks to the Chair.

Encl: As attached

(Jiwan Das) Assistant Director Technical Education, DHTE	**Principal-in-Charge** Government Polytechnic Latehar	**Principal-in-Charge** Government Polytechnic Ranchi	Principal-in-cha G.W.P. Ranc

(Sneh Kumar) Director (Curriculum) Jharkhand University of Technology, Ranchi	**(Dr Ranjeet Kumar Singh)** Joint Director Technical Education, DHTE

Annexure – I

Parameters for assessment of Internship Outcomes

The internship shall be evaluated based on two below mentioned outcomes:-

1. **Course Outcomes**

The outcomes of each course has been provided by CIPET, Ranchi. The achievement of such outcomes shall be assessed by a Committee constituted by Jharkhand University of Technology consisting of :-

(a) Representative from Jharkhand University of Technology
(b) One Teacher of the concerned domain from State Polytechnic or Engineering College nominated by Jharkhand University of Technology
(c) Representatives from CIPET, Ranchi

The achievement of such outcomes shall be assessed by the above-mentioned Committee under the following criteria:-

(a) Group Project Undertaken by students – 30 Marks
(b) Practical Test conducted by CIPET, Ranchi – 30 Marks
(c) Viva-Voice / Presentation – 30 Marks
(d) Project Report – 10 Marks

Further, the students must secure at least 60 out of 100 marks to be declared successful under the training program and eligible for Certification by CIPET, Ranchi.

2. **Scheme Outcomes**

The outcomes of the entire Scheme shall be assessed through the below mentioned parameters:-

(a) % of students getting certified after completion of training

$$\frac{No.\,of\ Certified\ students}{No.\,of\ students\ enrolled\ for\ Internship}\ x\,100$$

Minimum Benchmark: 75%

(b) Percentage of certified students securing placements in each batch

$$\frac{No.\,of\ certified\ students\ securing\ placements}{No.\,of\ Certified\ students}\ x\,100$$

Minimum Benchmark: 40%

It may be further noted that the placement batch shall be the final year Diploma / Degree batch of the institution.

3. All the above-mentioned performance outcome parameters shall be calculated separately for each domain of engineering i.e. Mechanical, Electrical, etc. The training must achieve the benchmark in the above-mentioned parameters to be considered as a successful training.

4. This outcome parameter benchmark shall be utilised by the High-Level Committee under the Scheme only to recommend a change in the training curriculum every year and decide on the further engagement with CIPET, Ranchi.

5. The High-Level Committee shall also have the powers to revise the outcome parameters and the corresponding minimum benchmarks as per requirements on a yearly basis.